

सहित
दिनांक

सहित
दिनांक

सहित
दिनांक

सहित
दिनांक

सहित
दिनांक

न्यायपालिका परामर्शदात्री - बागपत

नादर - 13

बेगम सिद्दीक

जोधारा - 143

नारायणपुत्र

मैला - खैरी

नकल



नकल - खाल
सख्या - 340

दिनांक
23/1/2010

Janak
प्रबन्धक
राष्ट्रीय सर्वोदय शिक्षा प्रसार समिति
न्यायपालिका परामर्शदात्री (बागपत)

तदनुसार उत्तर श्री वैभव सिंह पुत्र लखेदु निवासी ग्राम बली परगना व तहसील व जिला बागपत मौजा टटोरी स्थित खता संख्या 411 के खसरा नम्बर 1066 रकबई 0.653480 व खसरा नम्बर 1067 रकबई 0.058080 कुल 2 किलो रकबई 0.711480 जिनके वह संकमणी भूमिधर है, को 30प्र0 जे0डि0अधिनियम 1960 की धारा 143 के अन्तर्गत अधिधिक/ आबादी भूमि इस शर्त पर घोषित किया जाता है कि भविष्य में उक्त भूमि पर कृषि इत्यादि का कार्य नहीं करेगा। शासन/ प्राधिकरण द्वारा भविष्य में की जाने वाली कार्यवाहियों पर इस घोषणा का कोई प्रभाव नहीं होगा। परगना अमलदरामद जारी किया जाये। तथा आदेश की एक प्रति सब रजिस्टार बागपत को आवश्यक कार्यवाही हेतु भजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दायित्व दफ्तर की जाये।
दिनांक 23 जनवरी 2010

रिजिस्ट्रार

23/01/10
(अरबीतिवारी)
परगनाधिकारी,
बागपत।



सहाय प्रतिलिपि
[Signature]
परगना माजिस्ट्रेट
बागपत

खता नं. 13/2
प्र. व. नं. का तिथि 2/2/80/2.
श. नं. जारी करने की तिथि 3/2/80/0
हस्ताक्षर *[Signature]*

[Large handwritten signature]

[Signature]
प्रधानक
टटोरी संघोदय शिक्षा प्रसार समिति
अग्रवाल मण्डी टटोरी (बागपत)